

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) Miniratna Category-I, CPSE (Wholly owned by Government of India)

भा.प्र.मु.मि.नि.नि.लि./सतर्कता/10/9 (खण्ड IV)/९९ ८२ SPMCIL/VIG/10/9 (Vol. IV)/

दिनांक 28.11.2016

Date: 28.11.2016

परिपत्र संख्या 23/16/CIRCULAR NO. 23/16


विषय/Sub: भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि. की इकाइयों में संविदात्मक श्रमिकों द्वारा कोइन और करेंसी के चोरी के प्रयास के संदर्भ में / Attempt of steeling coins & currency by contractual labour in the SPMCIL units - reg.

सतर्कता विभाग द्वारा यह पाया गया है कि इकाईयो द्वारा संविदात्मक श्रमिको के पुलिस सत्यापन के संबंध मे निम्नलिखित धारा का अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है | "ठेकेदार के द्वारा कार्य परिक्षेत्र में कार्यबल तैनात करने से पहले प्रत्येक कार्यबल का चरित्र / पूर्वत्व का सत्यापन पुलिस प्राधिकरण द्वारा करवाना चाहिए".

It has been observed by the Vigilance Department that the compliance of following clause regarding Police verification of contractual labour are not being followed by the units.

"The contractor should get the character / antecedence of each and every workforce deployed by them at the job premises, verified by the Police Authorities before engaging and deploying them in our premises".

- 2. सक्षम प्राधिकारी ने इन अनमियताओं को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी विसंगतियों की पुनवृति ना हो।
- 2. Competent Authority has viewed the above lapses seriously. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that these lapses are not repeated in future.



- पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - / - Contd. at Page 2 -

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/10/9 (खण्ड IV)/ SPMCIL/VIG/10/9 (Vol.IV)/ दिनांक 28.11.2016 Date: 28.11.2016

- 3. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की वेबसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।
- 3. The widest possible publicity should be given to his circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.
- 4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
- 4. This issues with the approval of Competent Authority.

शिभूषण बेहेरा)/(SHASHIBHUSHAN BEHERA)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill, <u>भा.प्र.मु.मृ.नि.नि.लि.।/SPMCIL</u>

प्रतिलिपि:

- 1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/ CMD.
- 2. निदेशक (तक./मा.सं.)/मु.स.अ.।/Director (Tech/HR)/CVO.
- 3. मुख्य वित्तीय अधिकारी/Chief Financial Offier.
- 4. अपर महाप्रबंधक (नि.म्.)।/Addl. GMs (CHO).
- 5. उप महाप्रबंधक (नि.मु.)/उप मु.स.अ./DGM (CHO)/Dy. CVO.
- 6. मुख्य प्रबंधक (नि.म्.)/Chief Managers (CHO)
- 7. प्रबंधक (नि.म्.)/Managers (CHO).
- 8. सभी सतर्कता कार्यपालक (नि.म्./इकाइयां)/All Vigilance Officials (CHO/units).
- 9. सूचना पटल एवं वेबसाइट।/Notice Board & Website.